न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 040 / 2020
अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अग्रेंज सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. [illegible] सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....**वादीगण**

ब ना म

1. गुलजार सिंह पुत्र श्री फता सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. गुरदीप कौर पत्नी श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. जगदीश सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. बलदेव सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. छिन्द्रपाल कौर पुत्री गुलजार सिंह पत्नी तरसेम सिंह निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. अवतार कौर पुत्री गुलजार सिंह पत्नी गुरतेज सिंह निवासी झाबर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ...... **प्रतिवादीगण**

उपस्थित–	श्री ओमप्रकाश बतरा	(वादीगण)
	श्री बलराम स्वामी	(प्रतिवादी–1 ता 6)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–7)

दिनांक 13.07.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीगण के दादा फता सिंह पुत्र काला सिंह चक 5 जी छोटी मे रकबा दर्ज था। फता सिंह के मरने के बाद वादीगण के पिता गुलजार सिंह के नाम वारिसान इंतकाल मे चक 5 जी छोटी मे मु0 न0 19 व 20 मे गुलजार सिंह को खाता संख्या 74/61 में 2361/14168 हिस्सा तथा खाता संख्या 11/7 के मु0 न0 27 में किला न0 6/1, 6/2,7,8,9,10,13,14,15/1,15/3,21,22,23,24,25/1, 25/2 व मु0 न0 35 के किला न0 1,2,3,8,9,10,21,22,23,24 का 1.265 है0 रकबा प्राप्त हुआ है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। गलजार सिंह को उपरोक्त रकबा अपने पिता से प्राप्त हुआ है। उपरोक्त रकबा सयुक्त परिवार की परिवार की सम्पति होने से वादीगण का जन्म से हक हिस्सा बनता है। गुलजार सिंह के चार लडके व दो लडकी है तथा एक उसकी पत्नी है। इस प्रकार वादीगण का 2/8 हिस्सा बनता है। जो कि वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी है। वादीगण के पिता की आयु 70 साल है। उसे सुनाई कम देता है व उसकी दिमागी हालत ठिक नही है। वह उपरोक्त जमीन आगे बेचने की फिराक मे है। यदि उसने जमीन आगे बेच दी तो वादीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रतिवादी सख्या 02 के हक मे कोई झुठा दस्तावेज बना लिया है। जो वादीगण के हकुक पर बेअसर है। जब वादीगण को

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

पता चला कि प्रतिवादी जमीन आगे बेचान कर रहा है तो वादीगण द्वारा पंचायत कि मगर प्रतिवादी संख्या 01 पंचायत के सामने वादीगण को हक हिस्सा देने से साफ इकांर हो गया तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। वादीगण की चक 5 जी छोटी के मु0 न0 27 के किला न0 02 मे ढाणी बनी हुई है। यदि वादीगण को ढाणी से बेदखल कर रकबा बेचान कर दिया तो वादीगण को न पुरा होने वाला नुकसान होगा। प्रतिवादी संख्या 07 लैण्डहोल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है। उपरोक्त कृषि भूमि श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अतः वाद वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण बहक वादीगण, खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे।

(क) डिक्री घोषणा व खाता विभाजन इस अमर सादिर कि जावे कि चक 5 जी छोटी के मु0 न0 19 व 20 मे गुलजार सिंह को खाता संख्या 74/61 में 2361/14168 हिस्सा तथा खाता संख्या 11/7 के मु0 न0 27 में किला न0 6/1, 6/2,7,8,9,10,13,14,15/1,15/3,21,22,23,24,25/1, 25/2 व मु0 न0 35 के किला न0 1,2,3,8,9,10,21,22,23,24 का 1.265 है0 जद्दी जायदाद होने से वादीगण का इसमें जुमला 2/8 हिस्सा बनता है। जिसका किलावाईज विभाजन किया जाकर वादीगण के नाम बहिस्सा राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की सादिर कि जावे कि चक 05 जी छोटी के मु0 न0 19 व 20 मे गुलजार सिंह को खाता संख्या 74/61 में 2361/14168 हिस्सा तथा खाता संख्या 11/7 के मु0 न0 27 में किला न0 6/1, 6/2,7,8,9,10,13,14,15/1,15/3,21,22,23,24,25/1, 25/2 व मु0 न0 35 के किला न0 1,2,3,8,9,10,21,22,23,24 का 1.265 है0 को किसी को रहन बैय मुंतकिल करने व वादीगण को उनकी ढाणी से जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

दिनांक 17.09.2020 को प्रतिवादी अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी द्वारा प्रा0 पत्र 07 नियम 11 (क) (घ) सपढित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत जिसके अनुसार वाद वादीगण ने चक 5 जी छोटी पटवार हल्का 4 जी के मु0 न0 19 व 20 मे गुलजार सिंह को खाता संख्या 74/61 में 2361/14168 हिस्सा तथा खाता संख्या 11/7 के मु0 न0 27 में किला न0 6/1, 6/2,7,8,9,10,13,14,15/1,15/3,21,22,23,24,25/1, 25/2 व मु0 न0 35 के किला न0 1,2,3,8,9,10,21,22,23,24 का 1.265 है0 रकबा मे 2/8 हिस्सा के लिए अनुतोष चाहा गया है। इसी भुमि मे से प्रतिवादी संख्या 01 ने खाता संख्या 11/7 के मु0 न0 27 में 3.099 है0 व 35 मे 2.530 है0 कुल 5.692 है0 (4.364) है0 मे से 0.063 है0 खाला 1.265 है0 बारानी का 332/1423 हिस्सा अर्थात 1.328 है0 अपना खातेदारी होने का कथन कर इस मे से 0.6958 है0 के सबंध मे प्रतिवादी संख्या 02 के हक मे दान पात्र 02.07.2020 को तररीर तकमील करवा कर उप पंजीयक चुनावढ मे से तस्दीक करवाया जाकर कब्जा प्रतिवादी संख्या 02 को सौप दिया। दान पत्र रजि0 है जिसकी नकल शामिल है। उक्त दान पत्र के बारे मे वादीगण ने दावा के कोई स्पषट विवरण अकिंत नही किया है तथा न ही इस दानपत्र को आज तक सक्षम न्यायालय मे चुनौति देकर निरस्त ही करवाया गया जबकि उक्त दान पत्र मे अकिंत भूमि को दावे मे दर्ज करके अनुतोष मन प्रतिवादीया को पक्षकार बना कर चाहा गया है। जबकि दानपत्र के बारे में जब तक सक्षम सिविल न्यायालय मे चुनौति देकर निरस्त नही करवाया जाता तब तक कानुनन अदालतवाला मे दावा नही लाया जा सकता है। इसके अलावा किसी इकरारनामा रजि0 दस्तावेज के बारे मे श्रीमान न्यायालय को काई आदेश पारित करने का व दावा सुनने का अधिकार क्षेत्र हासिल नही है। राज्य सरकार के अनुसार भी किसी इकरारनामा व रजि0 दस्तावेज के संबध मे राजस्व अदालत को दावा सुनने से रोके जाने का जारी किया हुआ हैं इस प्रकार से वादीगण का मौजुदा वाद स्पषट तौर से आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के अनुसार विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 01 ने खरीदशुदा भूमि का ही दानपत्र किया है, उसने बैयनामा दिंनाक 22.06.1974 से 05 बीघा कय किया तथा अन्य बैयनामा से भी उक्त रकबा कय किया बैयनामा की नकल व इंतकाल की नकल शामिल है अतः उसने दानपत्र सअधिकार किया तथा इसको बिना सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये कानुन इस भूमि के संबध मे दावा नही लाया जा सकता

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

था। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने से इसी स्टेज पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण के पूरे वाद का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया जावे तो कहीं भी यह अंकित नहीं किया कि उनके वाद पत्र से कोई वाद हेतुक प्रकट करता हो क्यों कि ना तो उक्त दान पत्र के बारे में कोई कथन किया गया है ना ही कोई अनुतोष चाहा गया है अतः दावा के अवलोकन से वाद प्रकट पना होने से भी दावा आदेश 7 नियम 11(क) के प्रावधानों के अनुसार इसी स्टेज पर खारिज करने योग्य है। दावा के पैरा0 6 में कोई इन्कारी की तारीख तक अंकित नहीं की है अतः इससे भी स्पष्ट है कि दावा के पढने मात्र से ही कोई वाद कारण प्रकट होना अर्थात वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है। इसलिए भी इसी स्टेज पर दावा खारीज करने योग्य है। दावा उक्त दान पत्र के बाद पेश किया गया है तथा इस दान पत्र की शुरू से वादीगण को जानकारी रही है कोंकि कब्जा दान पत्र में अंकित भूमि पर प्रतिवादी सं0 02 का है। अतः दान पत्र को निरस्त करवाए बिना दावा नहीं लाया जा सकता था ना ही श्रीमान् न्यायालय ही दावा को कोई भी सुन सकती है।

पैरोकार राज द्वारा दिनांक 06.04.2021 को जवाब राज्य पक्ष प्रस्तुत किया गया।

पक्षकारान द्वारा दिनांक 13.07.2021 को जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण द्वारा धारा 53 आर टी एक्ट के अनुतोष को विड्रा करने के उपरांत व पक्षकारान द्वारा पूर्व में किये गये राजीनाम दिनांक 23.10.2021 को विड्रा करने के कारण नया राजीनामा हुआ है जिसके अनुसार पक्षकारान दावा को डिक्री करवाना चाहते है, जो कि आज ही पत्रावली को पेशी में लेकर आदेश जारी करवाना चाहते है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर दिनांक 13.07.2021 को राजीनामा व अपने—अपने पहचान पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की गई। वादीगण की पहचान वादीगण के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा द्वारा एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी द्वारा की गई। वादीगण द्वारा हस्ताक्षकर अंगुठा निशान आदेश पत्रिका पर अंकित किए गये। राजीनामा के तथ्यों के अनुसार चक 5 जी छोटी के खाता संख्या 74/61 मु0 नं0 19, 20 व खाता संख्या 11/7 मु0 नं0 27, 35 की भूमि के सम्बंध में अधिकारों की घेषणा तथा विभाजन के सम्बंध में पेश किया था, दौराने मुकदमा हम मिकरान का आपस में दिनांक 23.10.2020 को राजीनामा हुआ जो कि पेश किया क्योंकि दोनों खातों में अन्य सह—काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया गया इस कारण वादीगण ने धारा 53 आर टी एक्ट के अनुतोष को विड्रा कर लिया तथा वर्तमान दावा केवलमात्र अधिकारों की घोषणा के सम्बंध में ही विचाराधीन है, हम पक्षकारान पूर्व के राजीनामा को विड्रा करतें हुए निम्न प्रकार से घोषणा के अनुतोष के सम्बंध में दावा को डिक्री करवाना चाहते है, यह भी तय किया गया है कि प्रतिवादी सं0 05 छिन्द्रपाल कौर ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 01, 03, 04 के हक में छोड दिया है, इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 06 सुखजीत कौर ने भी अपना हक हिस्सा वादीगण तथा प्रतिवादी सं0 01, 03, 04 के हक में छोड दिया है, प्रतिवादी संख्या 02 गुरदीप कौर ने भी अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 के हक में छोड दिया है, गुलजार सिंह द्वारा जो दान पत्र गुरदीप कौर के हक में करवाया गया था उसका इन्तकाल तहसीलदार द्वारा तस्दीक नहीं किया गया था इस दान पत्र को सहमति से पक्षकारान शून्य मानते हुए गुरदीप कौर को इस दान पत्र के आधार पर किसी रकबा का कलेम नहीं मानती है, अतः अब राजीनाम के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 को निम्न प्रकार से उपरोक्त दोनों खातों में हिस्सावाईज भूमि आयी है— **1. वादी अंग्रेज सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा में आयी भूमि का विवरण—** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.693 हैक्टे0 में से 0.591 हैक्टे0। **2. वादी मेजर सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा में आयी भूमि का विवरण—** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/21,

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक

मुरब्बा नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.380 हैक्टे0। **3. प्रतिवादी संख्या 01 गुलजार सिंह पुत्र फता सिंह के हिस्सा में आयी भूमि का विवरण**– चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मु0 नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.446 हैक्टे0 व खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.671 हैक्टे0 कुल 1.345 हैक्टे0। **4. प्रतिवादी संख्या 03 जगदीश सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा में आयी भूमि का विवरण**– चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.379 हैक्टे0। **5. प्रतिवादी संख्या 04 बलदेव सिंह पुत्र गुलजार सिंह के हिस्सा में आयी भूमि का विवरण**– चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मुरब्बा नं0 19, 20 की कुल 7.084 हैक्टे0 मे से 0.573 हैक्टे0। जिस पक्षकार को जो भूमि हिस्सा व कब्जा में आयी है उसका वही खातेदार काश्तकार हकदार रहेगा तथा मामला लगान आदि अदा करने का पाबंद रहेगा एवं काश्त की सुविधाएं खाला रास्ता नाका पानी उसी अनुसार जिस पक्षकार को जो भूमि हिस्सा में आयी है, प्राप्त होगी मु0 नं0 27 के किला नं0 02 में जो रास्ता चल रहा है वह यथावत चालू रहेगा। लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौजिज व्यक्तियों ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, तथा पंचायत द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से भूमि का बंटवारा करवा दिया है।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 5 जी छोटी, पटवार हल्का 4 जी छोटी, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुर्जवाली की जमाबन्दी सम्बत 2072–2075 एवं नामान्तरण का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्व होता है।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/सहमति नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक सुदृढ वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा/सहमति के आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 03, 04 को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **वादी संख्या 01 अंग्रेज सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.693 हैक्टे0 में से 0.591 हैक्टे0, **वादी संख्या 02 मेजर सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/21, मुरब्बा नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.380 हैक्टे0, **प्रतिवादी संख्या 01 गुलजार सिंह पुत्र फता सिंह को** चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मु0 नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.446 हैक्टे0 व खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.671 हैक्टे0 कुल 1.345 हैक्टे0, **प्रतिवादी संख्या 03 जगदीश सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.379 हैक्टे0, **प्रतिवादी संख्या 04 बलदेव सिंह**

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(...) श्रीगंगानगर

पुत्र गुलजार सिंह को चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मुरब्बा नं0 19, 20 की कुल 7.084 हैक्टे0 मे से 0.573 हैक्टे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिकी जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 13.07.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
श्रीगंगानगर

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

A9/6

वादपत्र संख्या 040/2020
अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अग्रेंज सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. मेजर सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादीगण

ब ना म

1. गुलजार सिंह पुत्र श्री फता सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. गुरदीप कौर पत्नी श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
3. जगदीश सिंह पुत्र श्री गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
4. बलदेव सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
5. छिन्द्रपाल कौर पुत्री गुलजार सिंह पत्नी तरसेम सिंह निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6. अवतार कौर पुत्री गुलजार सिंह पत्नी गुरतेज सिंह निवासी झाबर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री ओमप्रकाश बतरा	(वादीगण)
	श्री बलराम स्वामी	(प्रतिवादी–1 ता 6)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–7)

दिनांक 20.07.2021

वादपत्र संख्या 040/2020
अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादीगण अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी पैरोकार राज प्रतिवादी–7 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर **वादी संख्या 01 अंग्रेज सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.693 हैक्टे0 में से 0.591 हैक्टे0, **वादी संख्या 02 मेजर सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/21, मुरब्बा नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.380 हैक्टे0, प्रतिवादी

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

संख्या 01 **गुलजार सिंह पुत्र फता सिंह को** चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मु0 नं0 19, 20, 26 की कुल 7.084 हैक्टे0 में से 0.446 हैक्टे0 व खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.671 हैक्टे0 कुल 1.345 हैक्टे0, **प्रतिवादी संख्या 03 जगदीश सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/7, मुरब्बा नं0 27, 35 की कुल 5.692 हैक्टे0 में से 0.379 हैक्टे0, **प्रतिवादी संख्या 04 बलदेव सिंह पुत्र गुलजार सिंह को** चक 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 74/61, मुरब्बा नं0 19, 20 की कुल 7.084 हैक्टे0 मे से 0.573 हैक्टे0 भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। अतः डिक्री जारी की जाती है।

रूपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर वार्षिक...शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 जुलाई, 2021 को जारी की गयी।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर